कार्यालय निदेशक, पं0 जी0बी0 पंत, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल

अपर शेर का डांडा, जू कैम्पस, नैनीताल

पिन कोड – 263002
टेलीफोन – 05942–236927
फैक्स – 05942–236927
ई–मेल – **nainitalzoouk@gmail.com**

पत्रांक 168/2–जू (टैण्डर) दिनांक 21/11/2017 द्वारा जारी निविदा संख्या 01

# नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के मनोरा रेंज अन्तर्गत मोरा कक्ष संख्या 05 रानीबाग में टाईगर बाड़ों एवं नाईट सैल्टरों का निर्माण कार्य एवं टाईगर बाड़ों हेतु सीमा दीवाल निर्माण कार्य हेतु निविदा।

| | |
|---|---|
| ***Date of Calling Tender :*** | ***21-11-2017*** |
| ***Date of Pre Bid Conference :*** | ***05-12-2017 Time 11:00 AM*** |
| ***Date of Receiving Tender :*** | ***06-12-2017 Time 15:00 PM*** |
| ***Date of Opening Tender :*** | ***08-12-2017 Time 11:00 AM*** |

# ***Table of Contents :-***


1. निविदादाताओं हेतु निर्देश/निविदा विज्ञप्ति।
2. अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबंध।
3. सामग्री की विशिष्टियाँ/तकनीकी विवरण/आकंलन प्रति।
4. मूल्य सारणी (सूची)/Bill of Qty. for % Rate Bids
5. संविदा/निविदा अनुबंध पत्र की शर्तें/प्रारूप
6. निविदादाता के उपयोग हेतु मानक प्रपत्र आदि।

**कार्यालय निदेशक, पं. गोविन्द बल्लभ पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान,नैनीताल।**

E-mail:- nainitalzoouk@gmail.com Telefax.05942-237927

पत्रांकः– / दिनांक / /2017


## (1) निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रैस्क्यू सैन्टर रानीबाग में निम्न विभिन्न वानिकी निर्माण कार्यों हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 06.12.2017 के अपराह्न 03:00 बजे तक पृथक–पृथक टेंडर फॉर्मों में पंजीकृत डाक से पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, प्राणी उद्यान, नैनीताल के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 08.12.2017 को प्रातः 11:00 बजे निदेशक, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी/गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। इन कार्यों से सम्बन्धित अधिक जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु.) | धरोहर राशि (लाख रु.) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (धनराशि रु. में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | ठेकेदार की वर्गीकृत श्रेणी | निविदा की वैधता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोरा क.सं. 5 रानीबाग में टाईगर बाड़े हेतु सीमा दीवाल निर्माण कार्य | 12.45 | 0.25 | 1500+ GST | 45 दिन | 'बी' एवं उच्च श्रेणी | 60 दिन |
| 2 | मोरा क.सं. 5 रानीबाग में टाईगर के बाड़ों एवं नाईट सैल्टरों का निर्माण कार्य | 22.22 | 0.45 | 2000+ GST | 45 दिन | 'ए' श्रेणी | 60 दन |

निविदा की शर्तें व निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस **(सोमवार छोड़कर)** में प्राप्त की जा सकती है तथा निविदा की शर्तें उत्तराखण्ड वन विभाग की वेबसाईट www.forest.uk.gov.in एवं नैनीताल प्राणी उद्यान की वेबसाईट www.nainitalzoo.org से डाउनलोड की जा सकती हैं।

## (2) निविदा की सामान्य शर्तें एवं प्रतिबंध निम्न प्रकार हैं :–

1. नेक जमानत की धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र/बैकों की एफ.डी. आर,/टी.डी.आर. के रूप में निदेशक, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल के पदनाम से बंधक होनी अनिवार्य है।
2. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण भरी निविदा भी मान्य नहीं होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ रू 100.00 मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रू 1.00 का रसीदी टिकट हस्ताक्षर युक्त लगाकर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें निविदा दरों की वैद्यता का प्रमाण–पत्र अंकित होना चाहिए।
4. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को अनुबन्ध करते समय अनुबन्धित राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र/ बैकों की एफ.डी.आर /टी.डी.आर. (नेक

जमानत की धनराशि को समायोजित करते हुए) के रूप में जमा करना होगा। यह जमानती धनराशि कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के 12 माह के बाद अवमुक्त की जायेगी।

5. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदायें अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत के उपरान्त अनुबन्ध सम्बन्धी शासकीय वसूलियाँ यथा स्टाम्प ड्यूटी, जी0एस0टी, रॉयल्टी आदि नियमानुसार ठेकेदार द्वारा देय होंगी।
7. बिल के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। दरों में जी0एस0टी शामिल नहीं किया जायेगा, जी0एस0टी, पृथक से देय होगा।
8. निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी एवं (ब) वित्तीय में पृथक–पृथक लिफाफे में मुहरबन्द कर तथा उस लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखकर दोनों को एक साथ एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द कर भेजना होगा।
9. निविदादर आईटम रेट में ही मान्य होगी, प्रतिशत में नहीं।
10. निविदा मोहरबन्दे लिफाफे के बाहर कार्य का नाम पृथक से अंकित करना आवश्यक है।
11. निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने के उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नहीं करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. निविदा प्राप्त करने वाले ठेकेदार/फर्म स्वयं ही कार्य करेगा, अन्य को नहीं देगा।
13. निविदादाताओं को परामर्श दिया जाता है कि निविदा देने से पूर्व स्थल की स्थिति, कार्य की मात्रा, मानचित्र आदि को भली–भॉति देख लें, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्यक्रम आदि के बारे में लगायी गयी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
14. कार्य सन्तोषजनक होने पर वन क्षेत्राधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी " उपयोगिता प्रमाण पत्र" जारी करेंगे तद्नुपरान्त ठेकेदार को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
15. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये हुये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल को सुरक्षित होगा।
16. विवाद की स्थिति में वन सरंक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. निविदा पंजीकृत डाक से स्वीकार की जायेगी। डाक के विलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
18. निविदा निर्माण कार्य में लगने/उपयोग होने वाली समस्त सामग्री उच्च गुणवत्त की होनी चाहिए जो कि "BIS" प्रामणकों के अनुरूप हो, सीमेंट "53" ग्रेड एवं स्टील (ए ग्रेड), फैंसिंग मैटेरियल, बाड़े आदि की निर्माण सामग्री निर्धारित (BIS) मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। समस्त निर्माण सामग्री, उपकरणों आदि की पूर्ति किसी GST अन्तर्गत पंजीकृत फर्म से ही किया जाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार/फर्म इस सामग्री/उपकरणों/सामान की आपूर्ति के बिल सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी के सम्मुख करेगा।
19. सीमेंट एवं ईंट के निर्माण कार्यों के सामान कार्यों हेतु नियमित तलाई (Curing) ठेकेदार/फर्म द्वारा आवश्यक समय तक की जायेगी।

20. निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री आगणन में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार लगानी होगी।
21. वन विभाग में निर्माण कार्य करने की दक्षता एवं पूर्व में निर्माण कार्य किये गये टैण्डारदाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. सक्षम ठेकेदार की योग्यता का निर्धारण जटिल प्रकृति के कार्यों की निविदा के अनुरूप किया जायेगा जिसमें तकनीकी व वित्तीय क्षमता तथा अनुभव के आधार पर किया जायेगा। पहले तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा अर्हता पूर्ण करने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
23. निविदा कार्य को कार्यादेश जारी होने के 45 दिनांक के अन्दर हर हाल में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्रति 0–15 दिन हेतु 10 % की पेनाल्टी, 16–30 दिन के लिए 15 % की पेनन्टी लगेगी।

***<u>तकनीकी गुणवत्ता हेतु मानक :–</u>***

1. वन विभाग के अन्तर्गत पिछले 03 वर्षों में यदि किसी अनुभवी संसाधन युक्त एवं तकनीकी रूप से दक्ष ठेकेदार/फर्म जिसने इस निविदान्तर्गत कार्य के समतुल्य कार्य जैसे कि किसी टाईगर/बाघ/गुलदार के बाड़े एवं नाईट सैल्टर आदि का कार्य किया हो का अनुभव प्राप्त हो को वरीयता दी जायेगी।
2. निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का प्रमाणक।
3. PAN Card, आधार कार्ड, GST नम्बर, बैंक गारंटी आदि प्रमाण पत्र।
4. ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए और न ही किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित होना चाहिए।
5. कर्मचारियों की योग्यता उच्च कोटि की हो एवं पर्याप्त संख्या हो।

***<u>तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रमाणक :–</u>***

1. ठेकेदार/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. PAN Card, आधार कार्ड, GST नम्बर, TAN नम्बर।
3. तीन वर्षों (2016–17, 2015–16 एवं 2014–15) का वित्तीय बैलेंस शीट (CA से प्रमाणित)।
4. किसी विधिक/न्यायिक प्रकरण से विगत 03 वर्षों में लिप्त नहीं होने का प्रमाणक।
5. पिछले 03 वर्षों के कार्य का अनुभव।

निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल।
पं. गोविन्द बल्लभ पन्त,
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान,
नैनीताल।

**<u>संख्या– / तददिनाँकित।</u>**

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एंव वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4– वन संरक्षक, दक्षिणी कुमॉऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

5– प्रभारी आई0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, 85– राजपुर रोड, देहरादून (email:-forest.itcell@gmail.com) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अल्पकालीन निविदा तथा शर्तो को विभागीय वैबसाईट www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6– उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल/ मुक्तेश्वर नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

7– वन क्षेत्राधिकारी, मनोरा, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल।
पं. गोविन्द बल्लभ पन्त,
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान,
नैनीताल।

*विभिन्न वानिकी कार्यो के निविदा पर पूर्ण कराये जाने हेतु निविदा की विशिष्ट शर्ते :–*

1. किसी कार्य हेतु निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण सम्बन्धित प्रभागीय कार्यालय से नकद अथवा किसी अधिसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रभागीय वनाधिकारी के पक्ष में निरूपित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगें। निविदा प्रपत्र विभाग की बेब साईट से भी सीधे डाउनलोड किये जा सकते है परन्तु ऐसा करने पर ऊपर वर्णित रीति के अनुसार निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र की कीमत किसी भी प्रकार से न तो वापस की जायेगी और न ही किसी दूसरी निविदा प्रपत्र के विरूद्व समायोजित की जायेगी।

2. निविदा प्रपत्र मात्र उसी व्यक्ति हेतु मान्य होगा जिसके नाम से वह निर्गत किया गया है तथा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित कार्यों हेतु ही स्वीकार किया जायेगा।

3. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा के क्रम में भरे जाने वाले एग्रीमेन्ट की समस्त शर्तो का भली प्रकार अध्ययन कर लें। उक्त एग्रीमेन्ट की प्रति किसी भी कार्य दिवस पर प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदादाताओं से यह भी अनुरोध है कि वह निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तो का भी भली प्रकार अध्ययन कर लें। निविदा प्रपत्र जमा करने के उपरान्त एग्रीमेन्ट शर्तो अथवा निविदा शर्तो की जानकारी न होने विषयक कोई भी तर्क स्वीकार नही किया जायेगा।

4. निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्य स्थल का भ्रमण कर कार्य के प्रकार, स्थानीय परिस्थितियों आदि का भली प्रकार अध्ययन कर निविदा की दर सूचित करे। एक बार निविदा की दर सूचित करने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/बढ़ोत्तरी स्वीकार नही की जायेगी।

5. प्रत्येक कार्य प्रकार एवं क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र जमा करना होगा।

6. निविदादाता निविदा प्रपत्र के उपयुक्त कॉलम में निविदा की धनराशि जो कि कार्य के आईटम की अनुसूची में वर्णित हो सूचित करेगें।इयदि किसी निविदादाता द्वारा अंकों व शब्दों मे पृथक–2 धनराशि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी स्थिति में दोनो में से जो न्यून हो वह दर निविदादाता पर लागू समझी जायेगी। यदि विभाग यह पाता है कि किसी निविदादाता द्वारा विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों से अत्यधिक कम दरों पर निविदा दी है तो वह ऐसे में निविदादाता से इस सम्बन्ध में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभाग के पास यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से 10 प्रतिशत जो की अधिकतम रू0 50000.00 (पचास हजार) मात्र हो सकेगी विशेष/अतिरिक्त सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में जमा करा सकेगा। यदि निविदादाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया जाता है अथवा उसके स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम निविदा होने पर भी निविदादाता को कार्य देने से इंकार कर दे।

7. प्रत्येक निविदादाता निविदा प्रपत्र को भरकर मय संलग्नकों सहित एक सील्ड लिफाफे में जो कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के नाम सम्बोधित होगा प्रस्तुत करेगा। इस लिफाफे के शीर्ष पर ".............. प्रभाग की ................. राजि में ...................... कार्य हेतु निविदा" अंकित करना बाध्यकारी होगा। प्रत्येक निविदा प्रपत्र को डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि/समय से पूर्व सम्बन्धित स्थल पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा यदि निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि राजकीय अवकाश घोषित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगला कार्यालय दिवस अन्तिम तिथि समझा जायेगा।

8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त अथवा आवश्यक अभिलेखों रहित अथवा अपूर्ण निविदा प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किये जायेंगे।

9. प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट की धनराशिको निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना आवष्यक होगा।

10. किसी निविदा प्रपत्र में किये गये संशोधनों को निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना आवश्यक होगा।

11. सामान्यतः न्यूनतम निविदा ही स्वीकार की जायेगी परन्तु स्वीकृर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर लें।

12. निविदा के खुलने की तिथि के तीन माह तक कोई भी निविदा वापस नहीं ली जा सकेगी।

13. प्रत्येक स्वीकृत निविदा हेतु निविदादाता को निविदा में अंकित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना प्रेषित की जायेगी ऐसे पत्र के निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर निविदादाता को रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा तथा ऐसा न करने पर उसके निविदा की स्वीकृति को समाप्त समझा जायेगा व जमा ई0एम0डी0 को वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में अधिहरित कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एग्रीमेन्ट निष्पादन की निर्धारित तिथि से 10 दिन की छूट दी जा सकती है परन्तु इस हेतु रू0 500 (पांच सौ) मात्र प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

14. सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने समय निर्धारित बन्धक धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जिसकी अवधि निविदा स्वीकृति से छः वर्ष हेतु होगी। विभाग को बन्धक धनराशि से प्राप्त ब्याज देय नहीं होगा, जमा बन्धक धनराशि कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन व अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अवमुक्त की जा सकेगी। सफल निविदादाता को रू0 .................... () धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार अथवा डिप्टी

रजिस्ट्रार को–आपॅरेटिव सोसायटी अथवा कोषागार सेविंग एकाउण्ट/ एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो भुगतान बिलों का 10 प्रतिशत ठेके की समाप्ति की तिथि तक अथवा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक रोक लिया जायेगा।

**15.** अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के समय निविदादाता को निविदा की कुल धनराशि का 5 प्रतिशत अथवा जो अधिकतम रू0 50000.00 (पचास हजार) तक हो सकता है डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा। उक्त अतिरिक्त धनराषि तथा ई0एम0डी0 संयुक्त रूप से बन्धक राशि समझे जायेगें। .................................

**16.** समय से अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने अथवा बन्धन धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी तथा प्रभागीय वनाधिकारी को अधिकार होगा कि वह ई0एम0डी0 अथवा बन्धक धनराशि को जब्त कर लें। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी कार्य को दूसरे निविदादाता को आवंटित कर सकेगें (जिनके द्वारा अगली उच्च निविदा दी गयी है) तथा इस अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति मूल निविदादाता से की जायेगी। सरकार को इस प्रकार होने वाली क्षति को भू–राजस्व के रूप में वसूली की जा सकेगी।

**17.** सफल निविदादाता अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करते समय यह भी ......... देगा कि वह हैसियत प्रमाण पत्र में वर्णित सम्पत्तियों आदि को न तो बेचेगा और न ही गिरवी रखेगा।

**18.** निविदा देने के उपरान्त अथवा स्वीकृति के उपरान्त कोई भी प्रत्यावर्तन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**19.** असफल निविदादाताओं की ई0एम0डी0 निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र वापिस कर दी जायेगी।

**20.** निविदा प्रपत्र में सूचित मात्रायें लगभग है तथा वास्तविक मात्रा घट व बढ़ सकती है।

**21.** प्रभागीय वनाधिकारी को यह अधिकार होगा कि सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित कार्यो की मात्रा को कम या अधिक कर सकते हैं तथा यह निर्णय निविदादाता पर बाध्यकारी होगा। यदि निविदा में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त कार्य कराया जाना आवश्यक होता है तो निविदादाता को वह कार्य करना होगा तथा इस हेतु उसे सम्बन्धित वृत्त की प्रचलित दरों से निविदा के अनुसार धनराशि प्रतिशत में कम या अधिक कर भुगतान देय होगा।

**22.** यदि पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा कार्य करने हेतु उचित नहीं समझी जाती है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वें बिना पंजीकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित कर कार्य का आवंटन कर सकती है।

**23.** किसी भी वाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय में ही वाद दाखिल किया जा सकेगा।

24. ठेकेदार/फर्म को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कॉन्ट्रेक्ट लेबर (Abolition) अधिनियम 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

## *"भुगतान की शर्तें"*

1. निविदा कार्यों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु मौके स्थल में एक निरीक्षण रजिस्टर का संधारण रेंज अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसको प्रत्येक 15 दिन में रेंज अधिकारी द्वारा, प्रत्येक 30 दिन में उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अद्यावधिक किया जायेगा। इस रजिस्टर में कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के बारे में टिप्पणी की जायेगी तथा फोटोग्राफ्स संधारित किये जायेंगे।

2. माप पुस्तिका (एम.बी.) का संधारण/रखरखाव सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसको प्रत्येक माह अद्यावधिक एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा तद्नुरान्त ही उस माह के कार्यों की प्रगति अनुरूप भुगतान होगा।

3. माप पुस्तिका में अंकित प्रगति अनुरूप देयक/बिलों को वन क्षेत्राधिकारी तैयार करेगा। देयक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे। माप पुस्तिका एवं देयकों का परीक्षण सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी करेगा, जिसका पुनः परीक्षण लेखा प्राधिकारी एवं मानचित्रकार द्वारा किया जायेगा तद्नुपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी भुगतान करेगा।

4. प्रभागीय वनाधिकारी के लिये देयक भुगतान स्वीकृत करने से पूर्व कार्य की प्रगति एवं अन्य विवरणों से संतुष्ट होना आवश्यक होगा। इस प्रकार के देयकों/बिलों से यदि विधि अनुसार कोई कर, शुल्क अथवा अग्रिम की कटौती की जानी हो तो ऐसे बिलों से कटौती की जायेगी।

5. चालू देयकों/बिलों में दिखाये गये भुगतान सम्पूर्ण कार्य के अन्तिम भुगतान के सापेक्ष क्रमिक भुगतान (रनिंग पेमेंट) माना जायेगा। भुगतान निविदा में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के आधीन सोपानों में ही किया जायेगा।

6. सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त "उपयोगिता प्रमाण पत्र" तथा "गुणवत्ता प्रमाण पत्र" तथा भुगतान की संस्तुति उपरान्त ही निविदा कार्यों का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।

*वानिकी कार्यो हेतु अनुबन्ध पत्र की शर्ते :–*

1. सफल निविदादाता जिसे इसके बाद "ठेकेदार कहा गया है" अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने के उपरान्त कार्यादेश में वर्णित तिथि को वन क्षेत्र के अधिकारी से कार्य किये जाने वाले क्षेत्र का कार्यभार ग्रहण करेगा। ऐसा करते समय वह क्षेत्र की सीमाओं और उसमें उपलब्ध वन सम्पदा की जांच कर लिखित रूप से प्राप्ति देगा व स्वीकृति आदेश में वर्णित तिथि से कार्य आरम्भ करेगा वह समस्त कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों व समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु बाध्य होगा।

2. ठेके का कार्यकाल टेण्डर प्रपत्र में वर्णित अवधि हेतु होगा परन्तु उत्तराखण्ड वन विभाग को यह अधिकार होगा कि उसके नियन्त्रण से बाहर के कारकों के परिणामस्वरूप वह निर्धारित समय से पूर्व ठेके की अवधि को समाप्त कर उसका कार्यभार वापस ठेकेदार से प्राप्त कर लें।

3. प्रभागीय वनाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो स्वयं और न ही अपने किसी कर्मचारी को किसी कार्यक्षेत्र में भेजेगा। ठेकेदार को क्षेत्र का एक सर्वे मैप उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी सीमाएं पूर्व में ही चिन्हित कर दी गयी है। ठेकेदार ठेके की अवधि में इन सीमाओं को सुरक्षित रखने में बाध्य होगा तथा यदि कोई सीमा खण्डित हो जाती है तो सात दिन के अन्दर अपने खर्चे पर उसे ठीक करेगा। यदि सीमा की क्षति ठेकेदार के कारण होती है तो इस हेतु उसे विभाग को हुई क्षति के एवज में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।

4. यदि ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों को झाला आदि बनाने हेतु स्थान की आवश्यकता होती है तो वें निविदा क्षेत्र के बाहर सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा इस हेतु उपलब्ध कराये गये क्षेत्र का ही उपयोग करेंगें। किसी भी दशा में ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी इस स्वीकृत क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई भी झोपड़ी/झाला का उपयोग नही करेगें।

5. ठेकेदार व उसके कर्मचारी निविदा क्षेत्र में कार्य करते समय सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व रेंज अधिकारी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगें।

6. ठेकेदार किसी भी दशा में निविदा कार्य को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि को सबलैट नही करेगें।

7. ठेकेदार उसके ऐजेन्ट व उसके कर्मचारी ठेके की अवधि में वन क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त वन विधियों यथा भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 व उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन सुनिष्चित करेगें।

8. दावाग्नि, वन अपराध का समन आदि में किसी भी वनाधिकारी द्वारा सहायता मांगने पर ठेकेदार उसके ऐजेन्ट व कर्मचारी समस्त उपलब्ध संशाधनों सहित सहायता करने हेतु बाध्य होगें तथा ऐसा न करने पर सम्बन्धित अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड के भागी

होगें। निविदा क्षेत्र में किसी वन अपराध अथवा वन्य जीव अपराध के घटित होने पर ठेकेदार इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। ऐसा होने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रोपित अर्थदण्ड ठेकेदार को मान्य होगा तथा वह सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग हेतु भी पात्र होगे।

9. ठेकेदार निविदा क्षेत्र में उसके द्वारा योजित ऐजेन्ट/कर्मचारियों की एक सूची मय उनके आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र के वनाधिकारी से स्वीकृत करायेगें। निविदा क्षेत्र में इन स्वीकृत ऐजेन्ट/कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश के लिये न तो अधिकृत होगा और न ही ऐसे किसी व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा वन क्षेत्र में प्रवेष की अनुमति अपने स्तर से दी जायेगी। जब भी प्रभागीय वनाधिकारी किसी ऐजेन्ट/कर्मचारी को कार्य से हटाये जाने की निर्देश देते है तो इन निर्देशों का तत्काल पालन करना ठेकेदार को मान्य होगा।

10. ठेकेदार निविदा क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक ऐजेन्ट/कर्मचारी को क्षेत्र में प्रवेश व कार्य करने हेतु एक लिखित अनुज्ञा पत्र जारी करेगा, किसी वनाधिकारी द्वारा मांग करने पर सम्बन्धित कर्मचारी/ऐजेन्ट को उक्त अनुज्ञा पत्र प्रदर्शित करना होगा।

11. ठेकेदार न सिर्फ स्वंय द्वारा की गयी गलतियों और चूक अपितु उसके द्वारा कार्य हेतु योजित कर्मचारियों की गलतियों व चूकों के लिये जिम्मेदार समझा जायेगा। यदि ठेकेदार/प्रतिनिधि सात दिनों तक बिना उक्त कारण के कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहते है तो ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा विभाग स्वयं अथवा अन्य किसी रीति से ठेकेदार के खर्चे पर कार्यो के निष्पादन हेतु स्वतंत्र रहेगा।

12. कार्य से जुड़ा कोई राजकीय कर्मचारी ठेकेदार का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। यहां पर सम्बन्धी से तात्पर्य खून का सम्बन्ध आदि से है।

13. यदि ठेके की अवधि में अथवा उसके पश्चात यह ज्ञात होता है कि ठेकेदार द्वारा पूर्ववर्ती शर्त का उल्लंघन किया है तो ठेके के निरस्त कर बंधक धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा राज्य सरकार को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।

14. ठेकेदार को अपने स्वयं का कार्यबल कार्य पर योजित करना होगा तथा ऐसा करने में उसके द्वारा श्रम से जुड़े हूए विधिक प्राविधानों जैसे मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मकार अनुतोष अधिनियम, ठेके पर श्रमिकों (विनियमित एवं उन्मूलन) आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि उत्तराखण्ड वन विभाग को उक्त सम्बन्ध में किसी वाद में पक्षकार बनाया जाता है तो ठेकेदार को विभाग को उक्त पक्षकारिता से पृथक करना होगा।

15. ठेकेदार को कार्यबल में स्थानीय ग्रामीणों/निवासियों को योजित करने में प्राथमिकता देनी होगी।

16. ठेकेदार मशीनी संसाधनों से भी कार्य का निस्तारण कर सकता है परन्तु इसका उल्लेख उसे निविदा में स्पष्ट रूप से करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार कार्य करने से वन क्षेत्र के जैव विविधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

17. ठेके के कार्यो का निष्पादन वर्णित विशिष्टियों के अनुसार व मौके पर वनाधिकारियो के निर्देशों के क्रम में पूर्ण करना होगा तथा कार्यो हेतु निर्धारित समय सीमा का गम्भीरता से पालन करना होगा।

18. ठेकेदार व उसके अधिकृत प्रतिनिधि को निविदा क्षेत्र में नाप जोख करते समय स्वयं उपस्थित रहना होगा व नाप जोख की मापन पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि में हस्ताक्षर करने होगें व हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित करनी होगी। यदि मापन के समय ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तो मापन पुस्तिका मे की गयी प्रविष्टि को अंतिम समझा जायेगा व इस सम्बन्ध में किसी प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जायेगा।

19. किये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान निकटस्थ पूर्णांक में इलैक्ट्रानिक विधि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं से किये जायेगें। आंशिक भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। ठेकेदार के अनुरोध पर किये गये कार्यो के बिल तैयार किये जायेगे तथा इस हेतु ठेकेदार सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को किये गये कार्यो के विवरण, वित्तीय अनुमान आदि सहित एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित रेंज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें। आंशिक भुगतान के समय कुल देय धनराशि का 10 प्रतिशत रोक कर शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

20. राज्य व केन्द्र सरकार के विभिन्न टैक्स जैसे आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि बिना ठेकेदार को पृथक से सूचित किये भुगतान से काट लिये जायेगें।

21. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्य के संतोषजनक समाप्ति तक भुगतान रोक लिया जायेगा।

22. यदि कार्य के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कार्य की प्रगति संतोषजनक नही है अथवा कुछ कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही किये है तो ऐसी स्थिति में 15 दिन के अग्रिम नोटिस के उपरान्त ठेका निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अन्य किसी व्यक्ति से कार्य पूर्ण कराने पर होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।

23. यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं बीच में कार्य को छोड़ दिया जाता है तो उसको देय धनराशि रोकते हुए बन्धक धनराशि व ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। उत्तराखण्ड वन विभाग अवशेष कार्य को

स्वयं पूर्ण करायेगा तथा ऐसा करने पर आये अतिरिक्त व्यय भार का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

**24.** कोई उपकरण/सामग्री जो कि ठेकेदार को जारी की जाती है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का ही होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। प्रयोग के उपरान्त उपकरण/सामग्री को सम्बन्धित अधिकारी को वापस करना होगा।

**25.** पूर्व शर्तो के उपरान्त भी यदि ठेकेदार अनुबन्ध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, अथवा निविदा प्रपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा कार्य स्वीकृति आदेश में वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों आदि के किसी प्राविधान का उल्लंघन करता है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित दण्ड ठेकेदार को मान्य होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा दण्ड अधिकतम अनुबन्ध के निरस्तीकरण और बन्धक धनराशि को जब्त करने तथा अवशेष बिलों के भुगतान को जब्त करने से अधिक नही होगा।

**26.** सामान्यतः कार्य हेतु अवधि विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। तथापि यदि देरी का कारण ऐसे कारक है जो ठेकेदार के नियन्त्रण में नही है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा समुचित अवधि विस्तार दिया जा सकता है।

**27.** ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार के निविदा क्षेत्र पर समस्त प्रकार के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगे। यदि ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी ठेके की समाप्ति की अवधि के उपरान्त निविदा क्षेत्र में देखे जाते है तो उनके विरूद्व सम्बन्धित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**28.** यदि निविदा क्षेत्र मे कार्य के विरूद्व किसी मजदूर/कर्मचारी को कोई धनराशि देय है तो ऐसी देय धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहता है इसे अनुबन्ध की शर्त का उल्लंघन समझा जायेगा।

**29.** ठेके की समाप्ति पर यदि ठेकेदार के विरूद्व ठेके के सापेक्ष कोई राजकीय देयक अवशेष है तो वें अन्तिम भुगतान के समय काट लिये जायेगें। यदि धनराशि भुगतान से अधिक है तो उसकी वसूली ठेकेदार की बन्धक धनराशि से की जायेगी। यदि इसके उपरान्त भी धनराषि अवशेष रह जाती है तो अवशेष धनराशि को ठेकेदार से भू-राजस्व के रूप में वसूला जायेगा।

**30.** ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार की अवशेष बन्धक धनराशि उसे युक्तियुक्त समय में वापस कर दी जायेगी।

31. प्रभागीय वनाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वें क्षेत्र विशेष अथवा कार्य विशेष हेतु इस अनुबन्ध पत्र से अलग शर्ते भी ठेकेदार पर रोपित कर सकते है जिसका अनुपालन ठेकेदार को करना होगा।

32. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध अथवा स्वीकृति आदेश की किसी अथवा सभी शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और इस हेतु जमा बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में अन्य रीति से कार्य कराने पर हुए क्षति की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

33. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा परन्तु यदि किसी प्रकरण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि वह आदेश के दो माह के अन्तर्गत सम्बन्धित वन संरक्षक के समक्ष आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करें। ऐसी अपील पर वन संरक्षक का आदेश अन्तिम व उभयपक्षों को मान्य होगा।

34. कार्य के दौरान वन क्षेत्राधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर का कोई भी वनाधिकारी कभी भी कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का परीक्षण कर सकता है।

35. समय–समय पर सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे तथा इन अधिकारियों द्वारा कार्यों के संतोषजनक, गुणवत्तायुक्त होने की स्थिति में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, तद्नुपरान्त की ठेकेदार/फर्म को अन्तिम धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

**LIST OF APPROVED MAKES FOR PRODUCTS AND MATERIALS FOR CIVIL AND FINISHING WORKS ARE INDICATED IN THE TABEL BELOW. HOWEVER ANY OTHER MAKE WHICH IS EQUIVALENT AND MEETING THE TEDER SPECIFDICATIONS ARE ALSO ACCEPTABELE WITH PRIOR APPROVAL OF THE RANGE OFFICER.**

| SR NO. | DETAILS OF MATERIALS | MANUFACTURER'S NAME |
|---|---|---|
| 1. | CEMENT | ACC/ULTRATECH/ JK/ CK BIRLA/ AMBUJA/ BINANI/ JSW/ SANGHI/ INDIA CEMENT. |
| 2. | WHITE CEMENT | JK/ BIRLA WHITE/ TRAVANCORE CEMENT. |
| 3. | READY MIX CONCRETE | ULTRATECH/ ACC/ RMCRIPL/ JK CEMENT/ UNITECH/ GRAMSIM/ LAFARGE/ GODREJ & Boyce/ Madras cement/ RMC Readymix(I) |
| 4. | REINFORCEMENT BARS | SAIL/ TISCON/ RINL/ IISCO/ JSW |
| 5. | STRUCTURAL STEEL | SAIL/ TISCON/ RINL/ IISCO/ JSW/ CHORUS |
| 6. | CEMENT (53 Grade) | ACC/ ULTRATECH/ JK/ C K BIRLA/ AMBUJA/ BINANI/ JSW/ SANGHI/ INDIA CEMENT. |
| 7. | ANTI TRMITE TREATMENT | CHLOROTYRIPHOUS CHEMICAL PECOPP; DE-NOCIL, CYNAMIDE |
| 8. | PLYWOOD | ALL MANUFACTURERS LISTED BY BIS UNDER IS:303 (HAVING OPERATIVE AND VALID LICENSE) AT BIS WEB SITE HTTP://WWW.BIS.ORG.IN/ |
| 9. | WOODWORK POLISHING | ASIAN PAINTS; SHALIMAR PAINTS |
| 10. | VATRIFIED TILES | NAVEEN, MARBO GRANIT, GRANAMITE, BOSS, NITCO, ASIAN, RAK EURO, SOMANY, BELL CERAMIC, KAJARIA, REGENCY, ORIENT, JOHNSON; PELICAN, VARMORA, PILKINGTON |
| 11. | STAINLES STEEL SECTIONS | JINDAL/ SAIL/ GOLDEN |
| 12. | ALUMINIUM SECTIONS | HINDALCO/ JINDAL/ MAHAVIR/ LNDAL/ AJIT INDIA/ ALUMILITE |
| 13. | PRESSED STEEL DOORS AND WINDOWS | SKS STEEL. IND., DHIMAN STEEL SUPER STEEL WINDOWS, RDG ENGINEERING, RAYMUS ENGINEERING, NICOMAC, WINDOORS, SHAKTIMET, NCL SECOLOR, GODREJ. |

# Section C. World Bank Policy on Corrupt and Fraudulent Practices

Guidelines for Procurement of goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011.

**"Fraud and Corruptions:**

1.16 It is the Bank's policy to require that Borrowers ( including beneficiaries of Bank loans),bidders, supplers, contractors and their agents (whether declared or not), sub-contractors, sub-consultants, service providers of suppliers and any personal thereof, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of Bank-financed contracts. In pursuance of this policy, the Bank:

(a) defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows;

(i) "corrupt practice" is the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;

(ii) "fraudulent practice" is any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;

(iii) "collusive practice" is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improer purpose, including to influence inproperly tha actions of another party;

(iv) "coercive practice" is impairing or harmaing, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;

(v) "obstructive practice" is

(aa) deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators in order to materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice; and/or threatening, harassing or intimidating any party to prevent it form disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or

(bb) acts intended to materially impede the exercise of the Bank's inspection and audit rights provided for under paragraph 1.16 (e) below.

(b) will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award, or any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, suppliers and/or their employees, has directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;

(c) will declare mis procurement and cancel the portion of the loan allocated to a contract if it determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement or the implementation of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices;

(d) will sanction a firm or individual, at any time, in accordance with the prevailing Bank's sanctions procedures, including by publicly declaring such firm or individual ineligible, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; and (ii) to be a nominated sub-contractor, consultant, supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract'

(e) will require that a clause be included in bidding documents and in contracts financed by a bank loan, requiring bidders, suppliers and contractors, and their sub-contractors, agents, personnel, consultants, service providers, or suppliers, to permit the Bank to inspect all accounts, records, and other documents relating to the submission of bids and contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

# Bill of Qty. for Percentage rate bids.
# Schedule 'B"

**Block :- Bhimtal** **District :- Nainital**

**Name Of Work** :– नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज अन्तर्गत मोरा क0सं0 5 रानीबाग में टाईगर बाड़े हेतु सीमा दीवाल निर्माण कार्य।

| | |
|---|---|
| **1- Date of Calling Tender :- 21-11-2017** | **4-Date of Receving :- 06-12-2017 15:00 hrs.** |
| **2- Cost of Tender :- Rs 1500+GST** | **5-Date of Opening :- 08-12-2017 11.00 Hours.** |
| **3- Earnest Money :- Rs. 25000.00** | **6-Time of completion for work :- 45 days (From the date of issuing work order)** |
| | **7-Validity of Tender :- 60 Days** |

| Sl. No | D.s.r No | Item | Qty. | Unit | Per | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | In figure | In Words |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.8.1 | Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kind of soil. | 55.94 | Cum | Cum | 174.55 | Rs One hundred seventy four & Fifty five paisa only |
| 2 | 4.1.8 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level: 1:4:8 (1cement:4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) | 1.62 | Cum | Cum | 4697.58 | Rs Four Thousand Six hundred ninty seven & Fifty eight paisa only |
| 3 | 7.1.1 | Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth including levelling up with cement concrete 1:6:12 (1 cement : 6 coarse sand : 12 graded stone aggregate 20 mm nominal size) upto plinth level with : cement mortar 1:6(1 cement: 6 coarse sand) | 47.20 | Cum | Cum | 4160.18 | Rs Four Thousand sixty & eighteen paisa only |
| 4 | 4.1.3 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level: "1:4:8 (1cement:2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) | 4.37 | Cum | Cum | 5750.57 | Rs Five Thousand seven hundred fifty & fifty seven paisa only |
| 5 | 10.31 | Providing and fixing angle iron at top of boundry wall | 1709.44 | kg | kg | 69.23 | Rs Sixty nine & twenty three paisa only |
| 6 | 16.71 | Providing and fixing G.I. chainlink fabric fencing of required width in mesh size 25x25 mm made of G.I. wire of dia 3 mm including strengthening with 2 mm dia wire or nuts, bolts and washers as required complete as per the direction of Engineer-in-charge. | 344.00 | sqm | sqm | 623.26 | Rs Six hundred twenty three & twenty six paisa only |
| 7 | 6.4.2 | Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | 82.65 | Cum | Cum | 5856.41 | Rs Five thousand eight hundred fifty six & forty one paisa only |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 4.1.3 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- All work up to plinth level: "1:2:4(1cement :2 coarse sand (zone-III): 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) | 1.84 | Cum | Cum | 5750.57 | Rs Five thousand Seven hundred Fifty & fifty seven paisa only |
| **9** | 13.4.2 | 12 mm cement plaster : 1:6 (1 cement: 6 coarse sand) | 760.96 | sqm | sqm | 176.49 | Rs One hundred Seventy six & forty nine paisa only |
| **10** | 13.37.1 | White washing with lime to give an even shade: New work (three or more coats) | 790.96 | sqm | sqm | 18.10 | Rs Eighteen &Ten paisa only |
| **11** | 22.6 | Finishing with Deluxe Multi surface paint system for interiors and exterious using Primer as per manufacturers specifications painting Steel work with Deluxe Multi Surface Paint to give an even shade. Two or more coat applied @ 0.90 ltr/10 sqm over | 86.00 | sqm | sqm | 88.90 | Rs Eighty eight & Ninty paisa only |

1- **All works shall be executed as per detailed specification of Forest.**

2- **The condition of G.P.W. form-8 and 9 as applicable with upto date amendment, which shall be attached with the contract bond, its conditions shall be binding to the contractor.**

3- **The tender rates shall be including all taxes, royalty, lead & lifts cartage of various materials upto the site of work and no claim on this account shall be entertained.**

4- **The officer inviting tender shall have full right to reject any or all tenders without assigning any reason.**

5- **Photographs of the works to be repaired or executed shall be provided by the contractor before the start of the work and after the completion of the work. Photographs shall be provided by the contractor as his own cost and as per the direction of Officer-in-charge.**

6- **Details such as date, year & amount of work executed shall be mentioned on Bound made by cement concrete Seperately.**

7- **All the works shall be physically inspected & verified by the third party.**

**I/we have gone through all the conditions of tender documents etc. and had inspected the site of work and hereby offer to execute the above work on ……………………………….. % above/below/at par on the rates given in this schedule "B".**

Full Address ………………………..
………………………………………
……………………………………

**Officer Issuing Tender** **Officer Opening Tender**

**Officer Recommending Tender** **Officer Accepting Tender**

# Bill of Qty. for Percentage rate bids.
# Schedule 'B"

**Block :- Bhimtal** **District :- Nainital**

**Name Of Work** :– नैनीताल वन प्रभाग के मनोरा रेंज अन्तर्गत मोरा क0सं0 5 रानीबाग में टाईगर बाड़ों एवं नाईट सैल्टरों का निर्माण कार्य।

| | |
|---|---|
| **1- Date of Calling Tender :- 21-11-2017** | **4-Date of Receving :- 06-12-2017 15:00 hrs.** |
| **2- Cost of Tender :- Rs 2000+GST** | **5-Date of Opening :- 08-12-2017 11.00 Hours.** |
| **3- Earnest Money :- Rs. 45000.00** | **6-Time of completion for work :- 45 days (From the date of issuing work order)** |
| | **7-Validity of Tender :- 60 Days** |

| Sl. No | D.s.r No | Item | Qty. | Unit | Per | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | In figure | In Words |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.8.1 | Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kind of soil. | 115.54 | Cum | Cum | 174.55 | Rs One hundred seventy four & Fifty five paisa only |
| 2 | **4.1.8** | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level: Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering All work up to plinth level 1:4:8 (1cement:4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) | 12.84 | Cum | Cum | 4697.58 | Rs Four thousand six hundred ninty seven & fifty eight paisa only |
| 3 | 7.6.1 | Coursed rubble masonry (first sort) with hard stone in foundation andplinth with: Cement mortar 1:6 (1 cement: 6 coarse sand) | 83.04 | Cum | Cum | 4867.26 | Rs Four thousand eight hundred sixty seven & twenty six paisa only |
| 4 | 6.4.2 | Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | 79.78 | Cum | Cum | 5856.41 | Rs Five thousand eight hundred fifty six & forty one paisa only |
| 5 | | Hand packed stone filling | 12.14 | Cum | Cum | 140.00 | Rs One hundred forty only |
| 6 | 5.3 | Reinforce cement concrete work in beams, suspended floors, roof having slope up to 15$^o$ landings, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases above plinth level up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement with 1:1.5:3(1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size). cum 7390.80 | 30.18 | Cum | Cum | 7752.95 | Rs Seven thousand Seven hundred Fifty two & Ninty five paisa only |
| 7 | 13.4.2 | 12 mm cement plaster: 1: 6(1 cement :6 coarse sand) | 529.26 | sqm | sqm | 176.49 | Rs One hundred seventy six & forty nine paisa only |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 10.25.2 | Steel work welded in built up sections/framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer using structural steel primer using structural steel etc. as required. In grating, frames, guard bar, ladder, railings bracket s, gates and similar works. | 4307.12 | Kg | Kg | 90.16 | Rs Ninty & Sixteen paisa only |
| **9** | 10.31 | Providing and fixing angle iron frames for doors, windows and ventllators of mild steel Angle sections of size 35x35x5 mm. joints mitred and welded by angle iron 35x35x5 mm or 35x5 mm flat pieces to the existing T-iron frame or to the wall with dash fastener, including fixing of necessary butt hinges and screws and applying a priming coat of approved steel primer, all complete as per the direction of Engineer-In-Charge | 2428.00 | Kg | Kg | 69.23 | Rs Sixty nine & twenty three paisa only |
| **10** | D.R. | Carrige of material from 3 K.m. | 6.54 | sqm | sqm | 119.00 | Rs One hundred ninteen only |
| **11** | 11.3.1 | cement concrete flooring 1:2:4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate. | 79.70 | sqm | sqm | 380.37 | Rs Three hundred Eighty & thrity seven paisa only |
| **12** | 4.1.10 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level: Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering All work up to plinth level 1:5:10 (1cement:5coarse sand (zone-III) : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) | 4.16 | Cum | Cum | 4415.29 | Rs Four thousand four hundred fifteen & twenty nine paisa only |
| **13** | 5.22.1 | Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level. Mild steel and Medium Tensile steel bars. | 2014.00 | Kg | Kg | 58.01 | Rs Fifty eight & zeor one paisa only |

**1-** **All works shall be executed as per detailed specification of Forest.**

**2-** **The condition of G.P.W. form-8 and 9 as applicable with upto date amendment, which shall be attached with the contract bond, its conditions shall be binding to the contractor.**

**3-** **The tender rates shall be including all taxes, royalty, lead & lifts cartage of various materials upto the site of work and no claim on this account shall be entertained.**

**4-** **The officer inviting tender shall have full right to reject any or all tenders without assigning any reason.**

**5-** **Photographs of the works to be repaired or executed shall be provided by the contractor before the start of the work and after the completion of the work. Photographs shall be provided by the contractor as his own cost and as per the direction of Officer-in-charge.**

**6-** **Details such as date, year & amount of work executed under calamity fund shall be mentioned on the structure made by cement concrete Seperately.**

**7-** **All the works shall be physically inspected & verified by the third party.**

**I/we have gone through all the conditions of tender documents etc. and had inspected the site of work and hereby offer to execute the above work on ……………………………….. % above/below/at par on the rates given in this schedule "B".**

Full Address ………………………..

………………………………………

……………………………………

**Officer Issuing Tender** | **Officer Opening Tender**

**Officer Recommending Tender** | **Officer Accepting Tender**